ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

श्री राहुल वर्मा,
अपर महाधिवक्ता,
मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली।

संख्या– 152 /ग्रा0सी0/2024 **दिनांक 22 फरवरी, 2024**

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या–753/2023 डॉ राजेश बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या–753/2023 डॉ राजेश बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसकी प्रति इस कार्यालय को अनुपालनार्थ प्रेषित की गई है।

जिसके अनुपालन में इस कार्यालय के आदेश संख्या 144/ग्रा0सिंलिग–अनुभाग/2023 दिनांक 02.02.2024 के द्वारा उप जिलाधिकारी सदर देहरादून को अधोहस्ताक्षरी का प्रतिनिधि नामित करते हुए रिपोर्ट/आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रकरण मे उप जिलाधिकारी सदर देहरादून के पत्र संख्या–159/एस0 पी0ए0–2023 दिनांक 22.02.2024 के द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या 14.02.2024 इस कार्यालय को प्रेषितं की गई है।

अतः उप जिलाधिकारी सदर देहरादून के पत्र संख्या–159/एस0 पी0ए0–2023 दिनांक 22.02.2024 के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या 14.02.2024 कि प्रति संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीया,

(सोनिका)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी सदर,
देहरादून।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

संख्या 159/एस0पी0ए0–2023 देहरादून दिनांक 22 फरवरी 2024

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल मूल आवेदन मूल आवदेन संख्या –753/2023 (राजेश बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य) मे पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 के सम्बंध में।**

महोदया,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय आदेश दिनांक 144/ग्रा0सीलिंग–अनु0/2023 दिनांक 02.02.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि मा0 राष्टीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–753/2023 डॉ0 राजेश बहुगुणा बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 के क्रम में देहरादून क्षेत्रान्तर्गत आमवाला तरला वार्ड नं0 61 में वन प्रभाग में वन अधिनियम का उल्लंघन कर पेड़ो की कटाई के सम्बन्ध में Factual and action taken report मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किये जाने के हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

उक्त निर्देशो के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी, नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून, प्रबंधक, वन विकास निगम, अरण्य विकास भवन, 73 नेहरू रोड देहरादून के साथ दिनांक 14.02.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

प्रश्नगत क्षेत्र मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के रायपुर रेंज की रायपुर प्रथम बीट के लाडपुर कक्ष संख्या 4 ए (आरक्षित वन क्षेत्र) के अन्तर्गत आता है। उक्त आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा नालापाली तपोवन रोड से आमवाला तरला को जाने हेतु एक कच्चा अस्थाई पैदल मार्ग (लगभग 180 मी0 लम्बाई) पूर्व से विद्यमान है, उक्त स्थल की 2005 से वर्तमान तक मौजूद विभिन्न समयावधि की गूगल सेटेलाईट इजेज (संलग्न) से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत कच्चा पैदल मार्ग पूर्व से ही विद्यमान था। प्रश्नगत कच्चे मार्ग का प्रयोग स्थानीय लोगों द्वारा पैदल आवागमन के साथ–साथ वनकर्मियों द्वारा वनाग्नि, वन एवं वन्य–जीवों की सुरक्षा/गस्त आदि हेतु भी वर्षो से किया जाता रहा है। प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत आरक्षित वन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों की गणना कराई जा रही है एवं गैप फिलिंग बनीकरण/ईकोरस्टोरेशन तथा फेंन्सिग हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है। साथ ही अवगत कराया गया कि प्रश्नगत आरिक्षत वन क्षेत्र में सर्वे सीमांकन हेतकु सर्वे आफ इंडिया को पत्र प्रेषित किया गया है। वर्तमान में उक्त पैदल कच्चे मार्ग पर किसी प्रकार के वाहनों की आवाजही नही पायी गई तथा कच्चे मार्ग में वाहनों की आवजाही हेतु वन विभाग द्वारा खाई खोदकर बन्द कर दिया गया है। स्थलीय निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवैध पातन एवं अन्य वनापराध प्रकाश में नहीं आया है।

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 14.02.2024 मय संलग्नकों सहित मूल रूप में सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

उप जिलाधिकारी (सदर),
देहरादून।

संयुक्त निरीक्षण आख्या

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना–पत्र संख्या–753 / 2023 डा0 राजेश बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 हरित न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 04.01.2024 को पारित अन्तरिम आदेश के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन के वन अनुभाग –3 संख्या 114-X-3-24/4(30)/2023 **दिनांक 02.02.2024, कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के आदेश संख्या 144 / ग्रा0सीलिंग–अनु0 / 2023 दिनांक 02.02.2024 एवं कार्यालय उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून के कार्यालय पत्रांक संख्या–159 / पी0ए0 / 2022–23 देहरादून दिनांक 05.02. 2024 के आदेश के कम में आज दिनांक 14.02.2024 को राजस्व विभाग, वन विभाग एवं नगर निगम, देहरादून द्वारा प्रश्नगत प्रकरण (आमवाला तरला आरक्षित वन क्षेत्र) का स्थलीय निरीक्षण किया गया।**

प्रश्नगत क्षेत्र मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के रायपुर रेंज की रायपुर प्रथम बीट के लाडपुर कक्ष संख्या 4 ए (आरक्षित वन क्षेत्र) के अन्तर्गत आता है। उक्त आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा नालापानी तपोवन रोड (30° 19' 47.51" N 78° 4' 16.47" E) से आमवाला तरला (30° 19' 53.55" N 78° 4' 17.60" E) को जाने हेतु एक कच्चा अस्थाई पैदल मार्ग (लगभग 180 मी0 लम्बाई) पूर्व से विद्यमान है, उक्त स्थल की 2005 से वर्तमान तक मौजूद विभिन्न समयावधि की गूगल सेटेलाईट इमेज (संलग्न) से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत कच्चा पैदल मार्ग पूर्व से ही विद्यमान था। प्रश्नगत कच्चे मार्ग का प्रयोग स्थानीय लोगों द्वारा पैदल आवागमन के साथ–साथ वनकर्मियों द्वारा वनाग्नि, वन एवं वन्य–जीवों की सुरक्षा / गस्त आदि हेतु भी वर्षों से किया जाता रहा है। प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत आरक्षित वन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों की गणना कराई जा रही है एवं गैप फिलिंग बनीकरण / ईकोरेस्टोरेशन तथा फेंन्सिग हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है। साथ ही अवगत कराया गया कि प्रश्नगत आरक्षित वन क्षेत्र में सर्वे सीमांकन हेतु सर्वे आफ इंडिया को पत्र प्रेषित किया गया है। वर्तमान में उक्त पैदल कच्चे मार्ग पर किसी प्रकार के वाहनों की आवाजाही नहीं पायी गई तथा कच्चे मार्ग में वाहनों की आवाजाही हेतु वन विभाग द्वारा खाई खोदकर बन्द कर दिया गया है। स्थलीय निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवैध पातन एवं अन्य वनापराध प्रकाश में नहीं आया।

श्री हरि गिरी– उप जिलाधिकारी, सदर
देहरादून।

श्री जगदीश राठौर, राजस्व उप निरीक्षक

श्री भगवती प्रसाद जगूड़ी, तहसीलदार, (से0नि0)

श्री शिवलाल सिंह, लेखपाल, (से0नि0) नगर निगम

श्री उदय नन्द गौड़– उप प्रभागीय वनाधिकारी।
देहरादून, मसूरी वन प्रभाग।

श्री राकेश नेगी, वन क्षेत्राधिकारी, रायपुर रेंज

श्री राजेन्द्र सिंह रावत, वन दरोगा

कु0 प्रियंका जोशी, वन बीट अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना–पत्र संख्या–753 / 2023 डा0 राजेश बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 हरित न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 04.01.2024 को पारित अन्तरिम आदेश के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन के वन अनुभाग –3 संख्या 114-X-3-24/4(30)/2023 दिनांक 02.02.2024, कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के आदेश संख्या 144 / ग्रा0सीलिंग–अनु0 / 2023 दिनांक 02.02.2024 एवं कार्यालय उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून के कार्यालय पत्रांक संख्या–159 / पी0ए0 / 2022–23 देहरादून दिनांक 05.02.2024 के आदेश के कम में आज दिनांक 14.02.2024 को राजस्व विभाग, वन विभाग एवं नगर निगम, देहरादून द्वारा प्रश्नगत प्रकरण (आमवाला तरला आरक्षित वन क्षेत्र) का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान निम्न अधिकारी / कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे:–

कमस	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री हरि गिरी	उप जिलाधिकारी, सदर देहरादून	
2	श्री उदय नन्द गौड़	उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग	
3	श्री राकेश नेगी	वन क्षेत्राधिकारी, रायपुर रेंज	
4	श्री भगवती प्रसाद जगूड़ी,	तहसीलदार, (से0नि0) देहरादून	
5	श्री जगदीश राठौर,	राजस्व उप निरीक्षक देहरादून	
6	श्री शिवलाल सिंह	लेखपाल, (से0नि0) नगर निगम	
7	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	वनदरोगा / अनुभाग अधिकार	
8	कु0 प्रियंका जोशी	वन बीट अधिकारी	